

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 321]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 26, 2017/वैशाख 6, 1939

No. 321]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 26, 2017/ VAISAKHA 6, 1939

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2017

सा.का.नि.410(अ).— पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एततद्वारा पासपोर्ट नियम, 1980 के संशोधन के विस्तार में निम्न नियम बनाती है, यथा:—

- 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं लागू होने की तिथि:-
 - (1) इन नियमों को पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2017 कहा जाएगा।
 - (2) ये नियम राजकीय गज़ट में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- 2. पासपोर्ट नियम 1980 (जिन्हें यहाँ से आगे उक्त नियम से संबोधित किया जाएगा) की अनुसूची Ⅲ के खण्ड Ѵ के अनुबंध 'ज' में निम्नलिखित "नोट" जोड़ा जाएगा, यथा:—

"नोट:- पासपोर्ट प्राधिकरण द्वारा, पासपोर्ट आवेदन संसाधित करने हेतु, पूर्व सूचना पत्र (इस अनुबंध के अंतर्गत) तभी स्वीकार किया जाएगा यदि उस पर आवेदक के नियोक्ता द्वारा इसकी प्राप्ति को सूचित करते हुए हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित हों।"

[फा. सं. VI/401/1/17/2015]

अरुण कुमार चटर्जी, संयुक्त सचिव (पी.एस.पी.) एवं

मुख्य पासपोर्ट अधिकारी (सी.पी.ओ.)

पाद टिप्पणी : पासपोर्ट नियम, 1980, भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-II, खण्ड-3 के उप खण्ड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 691(अ) के अंतर्गत दिनांक 11 दिसंबर, 1980 को प्रकाशित किए गए थे और इनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1171(अ) के अंतर्गत 26, दिसंबर, 2016 को किया गया था।

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2017

G.S.R. 410(E).—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passport Rules, 1980, namely:—

- 1. Short title and commencement:—
 - (i) These rules may be called the Passport (Amendment) Rules, 2017.
 - (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Passport Rules, 1980 (herein after referred to as the said rules), in Schedule III, in Section V, in Annexure 'H', the following "Note" shall be inserted, namely:-

"Note: The Prior Intimation Letter (under this Annexure) shall be accepted by the Passport Authority for processing the passport application if the same bears the signature and seal of the employer of the applicant acknowledging its receipt."

[F. No. VI/401/1/17/2015]

ARUN KUMAR CHATTERJEE, Jt. Secy. (PSP) &

Chief Passport Officer (CPO)

Foot Note: The Passports Rules, 1980 were published vide Notification Number G.S.R. 691(E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated 11th December, 1980 and last amended vide Notification Number G.S.R. 1171(E), dated 26th December, 2016.